

ब्यायालय अप तहसीलदार तहसील विधाना जिला झुंझुनू

/गु०न०	किस्म गु०	रजु दिनांक	निर्णय दिनांक
52/19	धारा 91	18.7.19	06.08.19

अन्वयन सरकार वनाग देवकरण पुत्र नौरंग जाति बाह्यज नि० कुठानिया तहसील वृहन्ना जिला झुंझुनू

निर्णय

पत्रावली आज पेश हुसी। अतिकमी उपरिथत। नामला संश्लित में इस प्रकार हे कि पटवारी ने संवत् 2076 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की हे कि नाग कुठानिया की राजकीय भूमि १०गु० नाला रजुन० 215 रकवा 0.20 किस्म नौ०गु० नाला मे से 0.07 हे० भूमि पर अतिकमी देवकरण पुत्र नौरंग जाति बाह्यज कुठानिया तहसील वृहन्ना ने अवैध रूप से वाजरा काश्त व पक्का डारा कर अनाधिकृत अतिकमण किया गया हे।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर नामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिकमी को राजस्थान गू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिकमी उपरिथत हुआ। पाठपत्र पेश किया गया जो पत्रावली शामिल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबूत का महत्ता से गहनता से गहन किया गया। अतिकमी द्वारा किया गया अतिकमी जो कायिन नियमन नहीं हे। ना ही नियमों के अनुरूप हे। अतः उक्त अतिकमी को राजस्थान गू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिकमी घोषित किया जाता हे। व नैर वहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदस्रल किये जाने के आदेश दिये जाते हे।

अतिकमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गय वाजरा काश्त व पक्का डारा कर के दण्ड स्वरूप अतिकमण शुदा भूमि के लगान 0.48 की 50 गुणा जुर्माना राशि 24/- रु वतौर शारित कायम किये जाते हे।

तहसील राजस्व लेखाकार/गू०अ०नि०/पटवारी हल्का को वारते जमा कारागी, वेदस्रली/ वसुली/ कर राशि राज कोष मे जमा करवाने हेतु लिखा जावे। गू० अ०नि० को राजकीय भूमि से अतिकमीत भूमि से वारतविक रूप से वेदस्रल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली वाद तकमील तागिल दारिवाल दफतर से तथा नम्बर से कम होकर दर्ज फेराला हो।

आज दिनांक 06.08.19 को सुले ब्यायालय सुनाया गया।



नासब तहसीलदार

नासब तहसीलदार
 १९/०८/१९
 १९

B. नारायण प्रसाद